

भाग- II
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

1 परियोजना/स्कीम का स्थान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खालसी गांव से खालसी (गढवाल गाड) मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	-	उत्तराखण्ड राज्य	
ii)	जिला	-	उत्तरकाशी	
iii)	वन प्रभाग	-	उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन	-	आरक्षित वन भूमि	- 0.000 है०
			सिविल सोयम भूमि	- 2.681 है०
			वन पंचायत भूमि	- 0.000 है०
			कुल वन भूमि	- 2.681 है०

- v) वन की कानूनी स्थिति - सिविल सोयम
- vi) हरियाली का घनत्व -
- vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि - वृक्षों की परिगणना सूची संयुक्त कुल निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज/संलग्न है।
श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए
- viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। - भूक्षरण के लिए संवेदनशीलता नहीं है।
- ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - 500 मीटर।
- x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए) - नहीं
- xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें। - नहीं
- xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या - नहीं

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित - प्रस्तावित भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य

वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं। - नहीं

प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-
i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस- संलग्न है।

- पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। - संलग्न है।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। - संलग्न है।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। - संलग्न है।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)। - संलग्न है।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) - संलग्न है।
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल - उत्तरकाशी वन प्रभाग/ पी.एम.जी.एस.वाई. सिं०ख० उत्तरकाशी
- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। - 80,1600 है०
- ii. जिला का वन क्षेत्र। - 695783.35
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। - 347 मामले तथा 1201.63376 है०
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण - रिक्त
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि - 487.50 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति - रिक्त
- (क) वन भूमि पर - 487.50 है०
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा - कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किये जायेंगे सिफारिश। जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक 2-1-2015

स्थान, उत्तरकाशी

हस्ताक्षर

रम वन संरक्षक

उत्तरकाशी वन प्रभाग

नाम

उत्तरकाशी

सरकारी मोहर